न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 9/2024 दायर दिनांकः 01.07.2024

GCMS NO:- 2024/88 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. अशोक कुमार आ0 कजोडमल जाति मीणा नि0 रैठोदा तहसील नैनवॉ।
2. राजेन्द आ0 कजोडमल जाति मीणा नि0 रैठोदा तहसील नैनवॉ।
3. प्रहलादी पत्नी कजोडमल जाति मीणा नि0 रैठोदा तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैनवॉ।
2. कालूलाल आ0 देवीलाल जाति मीणा नि0 रैठोदा हाल नि0 मीणों का मोहल्ला देई तहसील नैनवॉ।
3. गुलाब पत्नी स्व. देवीलाल जाति मीणा नि0 रैठोदा तहसील नैनवॉ।
4. गोपाली पुत्री देवीलाल पत्नी मोतीलाल जाति मीणा हाल नि0 कोलाहेडा तहसील नैनवॉ।
5. पदम पुत्री देवीलाल पत्नी............जाति मीणा हाल नि0 सोदानपुरा तहसील इन्द्रगढ।
6. फोटूलाल आ0 देवीलाल जाति मीणा नि00 रैठोदा तहसील नैनवॉ।
7. बबूलाल आ0 देवीलाल जाति मीणा नि00 रैठोदा तहसील नैनवॉ हाल मीणों को मोहल्ला देई तहसील नैनवॉ।
8. भरतराज आ0 देवीलाल जाति मीणा नि00 रैठोदा तहसील नैनवॉ।
9. हेमराज आ0 देवीलाल जाति मीणा नि00 रैठोदा तहसील नैनवॉ हाल नि0 मीणों का मोहल्ला देई तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।

अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर कारपेन्टर।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रैठोदा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 8 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1341/1147, 1501/1147 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7798 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की है। इसी प्रकार ग्राम रैठोदा मे ही स्थित खाता संख्या 193 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1146 रकबा 0.8252 हैक्टयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमियों मे आने जाने, कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 1153 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे दक्षिणी ओर पूर्व से पश्चिम होता हुआ खसरा नम्बर 1519/1153 मे होकर है जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1501/1147 मे पहुंचता है। इसके बाद प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित शेष भूमियों मे आते जाते है। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से अ बिन्दू से ब बिन्दू तक दर्शाया है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता है इसके अभाव मे भूमियों के पडत रहने की संभावना बनी रहती है। उक्त रास्ते के एवज् मे जितनी भी भूमि आवेगी, प्रार्थीगण उसके लिए नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर कारपेन्टर द्वारा वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रैठोदा तहसील नैनवॉ मे स्थित प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या

8 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1341/1147, 1501/1147 पर आने जाने व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 1153 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे दक्षिणी ओर पूर्व से पश्चिम होता हुआ खसरा नम्बर 1519/1153 मे होकर है जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1501/1147 मे पहुंचता है। इसके बाद प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित शेष भूमियों मे आते जाते है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाया जावे। साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा दिनांक 24.07.2025 से जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्राप्त हुई है, के अनुसार भी यदि रास्ता दिया जाता है, तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ती नही है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जो परिशिष्ट अ संलग्न किया हुआ है, के अनुसार रास्ता ना तो पूर्व मे था और ना ही वर्तमान मे है। परिशिष्ट अ मे झूंठा रास्ता दर्शाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे जो कृषि भूमियां वर्णित की है, पर आने हेतु खसरा नम्बर 1084, 1083 के पूर्वी दिशा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 1147 मे होकर खसरा नम्बर 1501/1147, 1146, 1341/1147 मे अपने पूर्वजों के समय से ही आते जाते रहे है जिसमे से होकर आराम से कृषि उपकरण निकलते है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। साथ ही कथन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 24.7.2025 मे जो रास्ता प्रस्तावित किया है, पर उनके अभिभाष्यगण का ही कब्जा है तथा उक्त भूमि की तरमीम गलत हो रखी है जिससे वहां से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। जिस पर पुनः प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता कथन किया किया कि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल और केवल पत्रावली मे देरी करने के उद्देश्य से गलत तरमीम जैसी बातें कह रहे है जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मे ऐसा कथन कहीं भी अंकित नही है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि या तो प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावे। और यदि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्रस्तावित रास्ता भी यदि माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो हमे कोई आपत्ती नही होगी।

हमने उभयपक्ष कें विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1341/1147, 1501/1147 पर जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 के अनुसार ग्राम रैठोदा स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1341/1147, 1501/1147 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1153 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **क** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः—

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	X चौडाई	क्षेत्रफल
1153	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	97 गट्टा	X 2 गट्ठा	194 वर्गगट्ठा

अर्थात 0.0785 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 194 वर्गगट्ठा या 0.0785 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा

ग्राम- रेणेदा प.म. रेणेदा
तहसील नैनवां जिला बून्दी

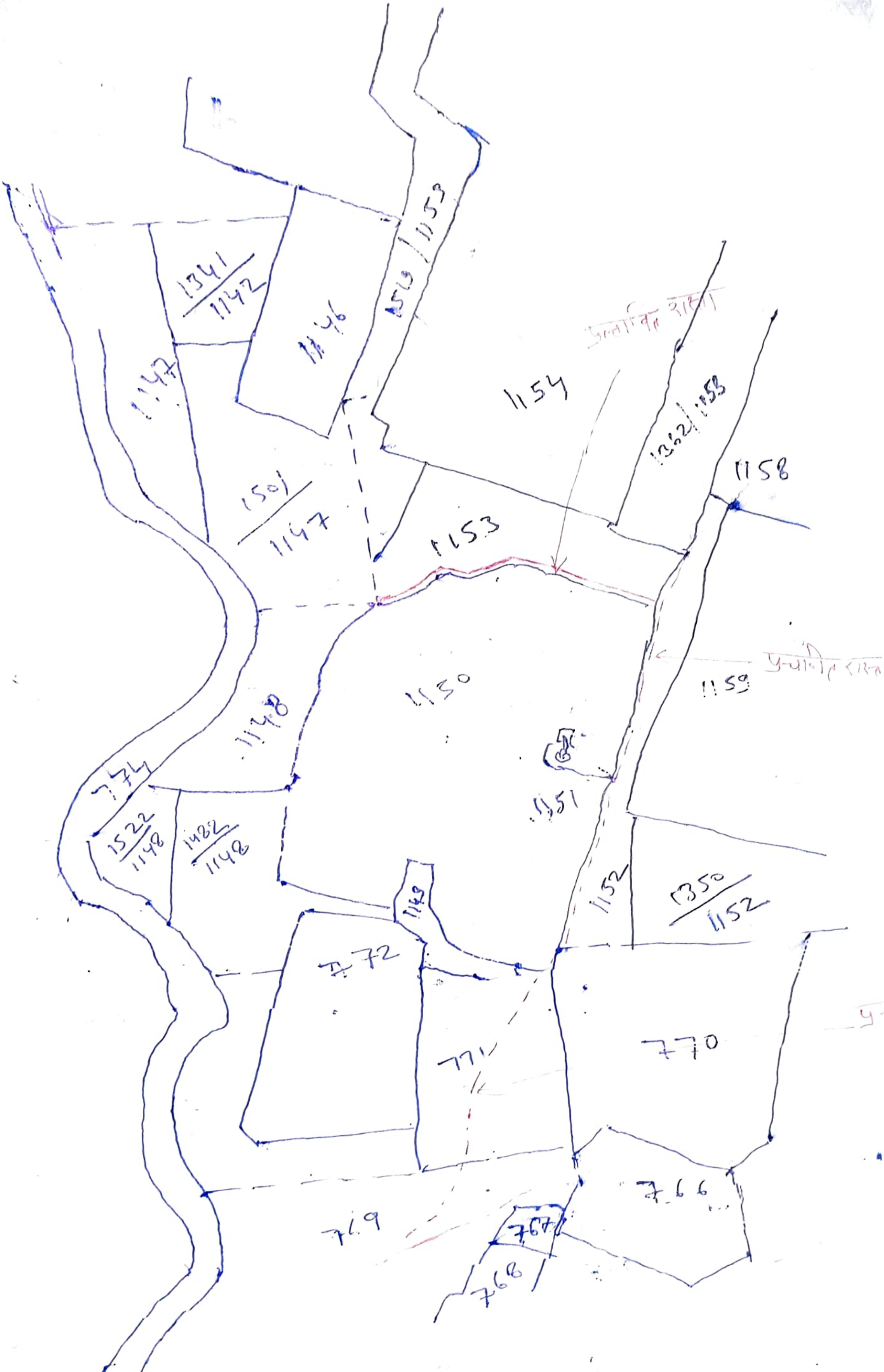

उपखण्ड अधिकारी